"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल 2023 — वैशाख 4, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. 5130/डी. 51/21—अ/प्रारू./छ.ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 13—04—2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**उमेश कुमार काटिया,** अतिरिक्त सचिव.

# छत्तीसगढ़ अधिनियम
## (क्रमांक 8 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2023.

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,–

(एक) उप–धारा (1) के खण्ड (ञ) के उप–खण्ड (पांच) की प्रविष्टि (ख) में, शब्द "या मौरूसी कृषक की हैसियत में" का लोप किया जाए।

(दो) उप–धारा (1) के खण्ड (ढ) में, शब्द और अंक "विधि–व्यवसायी अधिनियम, 1879 (1879 का संख्यांक 18)" के स्थान पर, शब्द और अंक "अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (क्र. 25 सन् 1961)" प्रतिस्थापित किया जाए।

(तीन) उप–धारा (1) के खण्ड (ण) का लोप किया जाए।

(चार) उप–धारा (1) के खण्ड (द) के उप–खण्ड (एक) में, शब्द "प्राधिकृत किया है;" के पश्चात्,

शब्द "और" के स्थान पर, शब्द "या" प्रतिस्थापित किया जाए।

(पांच) उप–धारा (1) के खण्ड (ध) का लोप किया जाए।

(छः) उप–धारा (1) के खण्ड (य–6) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(य–7) "फ्री–होल्ड (मुक्तधारण) अधिकार" से अभिप्रेत है वार्षिक भू–राजस्व एवं अन्य उपकर को छोड़कर, सभी विल्लंगमों से मुक्त भूमिस्वामी अधिकार;

(य–8) "अंतरण" से अभिप्रेत है संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (क्र. 4 सन् 1882) के तहत परिभाषित अंतरण।"

3. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (2) का लोप किया जाए। धारा 33 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– धारा 40 का संशोधन.

"40. अनुसूची 1 में के नियमों का प्रभाव.– अनुसूची 1 में के नियम, संहिता के अधीन बनाये गये नियमों की तरह, प्रवृत्त रहेंगे तथा संशोधित एवं निरसित किए जा सकेंगे।"

5. मूल अधिनियम की धारा 47 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:– धारा 47 का संशोधन.

"47. अपीलों की परिसीमा.— किसी आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश दिनांक से 60 दिवस की अवधि के भीतर की जा सकेगी:

परन्तु जहां किसी ऐसे पक्षकार को, जो उस पक्षकार से भिन्न हो, जिसके विरुद्ध आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, उस तारीख की, जिसको कि आदेश पारित किया गया है, कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहां इस धारा के अधीन परिसीमा की संगणना, ऐसे आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से की जायेगी।"

धारा 50 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(एक) उप–धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दो) किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण का आवेदन, आदेश दिनांक से 60 दिवस की अवधि के भीतर की जा सकेगी और उक्त अवधि की संगणना करने में, उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय छोड़ दिया जायेगा।"

(दो) उप–धारा (2) में, जहां कहीं भी शब्द "बंदोबस्त आयुक्त" एवं "बंदोबरत अधिकारी" आये हैं उसके स्थान पर, क्रमशः शब्द "आयुक्त, भू–अभिलेख" एवं "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाए।"

7. मूल अधिनियम की धारा 51 की उप–धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (तीन) में, शब्द "नब्बे दिन" के स्थान पर, शब्द और अंक "60 दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। — धारा 51का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 52 की उप–धारा (2) एवं (3) के परंतुक के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:– — धारा 52 का संशोधन.

"परन्तु आदेश का निष्पादन, आगामी सुनवाई की तारीख या एक माह, जो भी पहले हो, तक ही स्थगित की जा सकेगी।"

9. मूल अधिनियम की धारा 56 में, शब्द "या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति" का लोप किया जाये । — धारा 56 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 98, 101, 102 एवं 103 का लोप किया जाये। — धारा 98, 101, 102 एवं 103 का लोप.

11. मूल अधिनियम की धारा 115 की उप–धारा (1) के परन्तुक का लोप किया जाये। — धारा 115 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 124 की उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:– — धारा 124 का संशोधन.

"(3) ऐसे सीमा चिन्ह, इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विनिर्देशन के होंगे तथा ऐसी रीति में सन्निर्मित एवं अनुरक्षित किए जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाए।

(4) प्रत्येक भू–धारक, उसकी भूमि पर बनाए गए स्थायी सीमा चिन्हों तथा सर्वेक्षण चिन्हों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगा।"

धारा 158 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 158 में–

(एक) उप–धारा (4) में शब्द ''किसी पट्टे'' के स्थान पर, शब्द ''कृषि प्रयोजन के पट्टे'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ा जाए, अर्थात्:–

''(5) गैर–कृषि प्रयोजन पर आबंटित शासकीय भूमि में फ्री–होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति, उस भूमि के संबंध में, भूमिस्वामी होगा।''

धारा 162–क का अंतःस्थापन.

14. मूल अधिनियम की धारा 162 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ा जाए, अर्थात्:–

''162–क. शासकीय भूमि का व्ययन.– राज्य सरकार, स्वयं अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, रिक्त शासकीय भूमि को फ्री–होल्ड अधिकार पर, और/या रियायती निर्बंधनों के तहत् पट्टे पर, आबंटन के लिए नियम बना सकेगी।''

धारा 165 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 165 में,–

(एक) उप–धारा (6) के खण्ड (एक) एवं (दो) में, शब्द 'उधार'' के पश्चात्, शब्द ''या वसीयत'' अन्तःस्थापित किया जाए।

(दो) उप–धारा (7–ख) में, जहां कहीं भी शब्द ''ऐसा व्यक्ति'' आया है के पश्चात्, शब्द ''या उसका विधिक वारिस'' अन्तःस्थापित किया जाये।

(तीन) उप–धारा (7–ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु धारा 158 की उप–धारा (4) के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार प्रमाण–पत्र या उप–धारा (5) के अंतर्गत फ्री–होल्ड अधिकार धारण करने वाले भूमिस्वामी या उसके विधिक वारिस को, उस भूमि के अंतरण हेतु, इस उप–धारा में उल्लिखित अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी।"

**धारा 166 का संशोधन.**

16. मूल अधिनियम की 166 की उप–धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ा जाए, अर्थात्:–

'(4) यदि भूमि का अंतरण धारा 165 के उल्लंघन में किया जाता है, तो अंतरिती के पक्ष में यह विधिपूर्वक अर्जन नहीं माना जायेगा।"

**धारा 169 का लोप.**

17. मूल अधिनियम की धारा 169 का लोप किया जाए।

**धारा 170 का संशोधन.**

18. मूल अधिनियम की धारा 170 में,–

(एक) उप–धारा (1) में, वाक्यांश "ऐसा व्यक्ति" के पश्चात्, वाक्यांश "जो अंतरण के पूर्व के भूमिस्वामी का विधिक वारिस हो या" अंतःस्थापित किया जाए।

(दो) उप–धारा (2) में, वाक्यांश "उस भूमिस्वामी के या" के पश्चात्, वाक्यांश "उसके विधिक वारिसान के या" अन्तःस्थापित किया जाए।

(तीन) उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"(3) उपरोक्त उप–धारा (1) एवं (2) के अधीन, उप–खण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से, जांच हेतु प्रकरण संस्थित कर, उचित आदेश पारित कर सकेगा।"

धारा 172 का संशोधन.

19. मूल अधिनियम की धारा 172 में,–

(एक) उप–धारा (1) के पांचवें परन्तुक के स्पष्टीकरण में, शब्द "धारा" के स्थान पर, शब्द "परन्तुक" प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) उप धारा (5) में, शब्द "एक हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 174 का लोप.

20. मूल अधिनियम की धारा 174 का लोप किया जाए।

धारा 182 का संशोधन.

21. मूल अधिनियम की धारा 182 की उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(3) सरकारी पट्टेदार, इस हेतु विहित नियमों के अंतर्गत, गैर–कृषि प्रयोजन पर आबंटित शासकीय भूमि में फ्री–होल्ड अधिकार प्राप्त कर सकेगा।"

धारा 246 का संशोधन.

22. मूल अधिनियम की धारा 246 में, शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "01 नवम्बर, 2000 के ठीक पूर्व" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 248 का संशोधन.

23. मूल अधिनियम की धारा 248 में,–

(एक) उप–धारा (2–क) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (दो) का लोप किया जाए।

(दो) उप–धारा (2–ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"(3) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित तिथि के पूर्व के,

अतिक्रमणों का व्यवस्थापन कर सकेगा तथा राज्य सरकार इस संबंध में नियम बना सकेगी।"

धारा 258 का संशोधन.

24. मूल अधिनियम की धारा 258 में,–

(एक) उप–धारा (1) में, शब्द "नियम बना सकेगी" के पश्चात्, शब्द "एवं बनाये गये नियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगी" अन्तःस्थापित किया जाए।

(दो) उप–धारा (2) का लोप किया जाए।

अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. 5130/डी. 51/21–अ/प्रारू./छ.ग./23. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 21–04–2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**उमेश कुमार काटिया**, अतिरिक्त सचिव.

# CHHATTISGARH ACT
## (No. 8 of 2023)

## THE CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2023.

An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India, as follows :-

**Short title and commencement.**

**1.** (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of Section 2.**

**2.** In Section 2 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), (hereinafter referred to as the Principal Act),-

(i) in entry (b) of sub-clause (v) of clause (j) of sub-section (1), the words "or occupancy tenant" shall be omitted.

(ii) in clause (n) of sub-section (1), for the words and figure "the Legal Practitioners Act, 1879 (XVIII of 1879)", the words and figure "the

Advocates Act, 1961 (No. 25 of 1961)" shall be substituted.

(iii) clause (o) of sub-section (1) shall be omitted.

(iv) in sub-clause (i) of clause (r) of sub-section (1), after the words "proceedings", for the word "and", the word "or" shall be substituted.

(v) clause (s) of sub-section (1) shall be omitted.

(vi) after clause (z-6) of sub-section (1), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(z-7) "**Free-hold Right**" means the Bhumiswami Right free from all encumbrances, excepts annual land revenue and other cesses;

(z-8) "**Transfer**" means the transfers defined under the Transfer of Property Act, 1882 (No. 4 of 1882)."

**3.** Sub-section (2) of Section 33 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 33.**

**Amendment of Section 40.**

**4.** For Section 40 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:-

"**40. Effect of the rules in Schedule-I**.- The rules in Schedule-I shall have effects, and can be amended and annulled, as the rules made under the Code."

**Amendment of Section 47.**

**5.** For Section 47 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:-

"**47. Limitation of appeals**.- An appeal against any order can be made within a period of 60 days from the date of the order:

Provided that where a party, other than a party against whom the order has been passed ex-parte, had no previous notice of the date on which the order is passed, limitation under this Section shall be computed from the date of the communication of such order."

**Amendment of Section 50.**

**6.** In Section 50 of the Principal Act,-

(i) for clause (ii) of the proviso of

sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) An application for revision against any order can be made within a period of 60 days from the date of the order and in computing the period aforesaid, the time requisite for obtaining a copy of the said order shall be excluded."

(ii) in sub-section (2), for the words "Settlement Commissioner" and "Settlement Officer", wherever they occur the words "Commissioner, Land Record" and "District Survey Officer" shall be substituted, respectively.

**7.** In clause (iii) of the proviso of sub-section (1) of Section 51 of the Principal Act, for the word "ninety days", the word and figure "60 days" shall be substituted. **Amendment of Section 51.**

**8.** For proviso of sub-section (2) and (3) of Section 52 of the Principal Act, the following proviso shall be substituted, respectively, namely:- **Amendment of Section 52.**

"Provided that the execution of the order may be stayed until the date of next hearing or one month, whichever is earlier."

**Amendment of Section 56.**

**9.** In Section 56 of the Principal Act, the words "or any other enactment for the time being in force" shall be omitted.

**Omission of Sections 98, 101, 102 and 103.**

**10.** Sections 98, 101, 102 and 103 of the Principal Act shall be omitted.

**Amendment of Section 115.**

**11.** Proviso of sub-section (1) of Section 115 of the Principal Act shall be omitted.

**Amendment of Section 124.**

**12.** After sub-section (2) of Section 124 of the Principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(3) Such boundary marks shall, subject to the provisions hereinafter contained, be of such specification and shall be constructed and maintained in such manner as may be prescribed.

(4) Every holder of land shall be responsible for the maintenance and repair of the permanent boundary

marks and survey marks erected on his/her land."

**13.** In Section 158 of the Principal Act,- **Amendment of Section 158.**

(i) in sub-section (4), for the words "a lease", the words "lease of agricultural purpose" shall be substituted.

(ii) after sub-section (4), the following sub-section shall be added, namely:-

"(5) Person holding Free-hold Right in Government land allotted under non-agricultural purpose, shall be Bhumiswami in relation to that land."

**14.** After Section 162 of the Principal Act, the following Section shall be added, namely:- **Insertion of Section 162-A.**

"**162-A. Disposal of Government Land.**- The State Government may make rules for the allocation, of vacant Government Land, in Free-hold Right, and in lease under concessional terms, by itself or by

Authorised Officer for this purpose."

**Amendment of Section 165.**

**15.** In Section 165 of the Principal Act,-

(i) in clause (i) and (ii) of sub-section (6), after the word "loan", the words "or will (bequest)" shall be inserted.

(ii) in sub-section (7-b), after the words "a person", wherever they occur, the words "or his/or legal heir" shall be inserted.

(iii) after sub-section (7-b), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that a permission mentioned in this sub-section shall not be needed to a Bhumiswami or his/her legal heir holding Bhumiswami Right Certificate under sub-section (4) or Free-hold Right under the sub-section (5) of Section 158, for the transfer of that land.

**Amendment of Section 166.**

**16.** After sub-section (3) of Section 166 of the Principal Act, the following sub-section shall be added, namely:-

"(4) If land is transferred in contravention of the Section 165, then it shall not

be deemed to be lawful acquisition in favor of the transferee."

**17.** Section 169 of the Principal Act shall be omitted. **Omission of Section 169.**

**18.** In Section 170 of the Principal Act,- **Amendment of Section 170.**

(i) in sub-section (1), after the protasis "any person", the protasis "who is legal heir of the Bhumiswami prior to the transfer, or" shall be inserted.

(ii) in sub-section (2), after the protasis "of the Bhumiswami or", the protasis "his/her legal heir or" shall be inserted.

(iii) after sub-section (2), following sub-section shall be added, namely:-

"(3) Under the above sub-section (1) and (2), the Sub-Divisional Officer may pass appropriate order after instituting case for enquiry on own motion."

**19.** In Section 172 of the Principal Act,- **Amendment of Section 172.**

(i) in Explanation of the fifth proviso of sub-section (1), for the word "section", the word "proviso" shall be substituted.

(ii) in sub-section (5), for the words "one thousand", the words "ten thousand" shall be substituted.

**Omission of Section 174.**

**20.** Section 174 of the Principal Act shall be omitted.

**Amendment of Section 182.**

**21.** After sub-section (2) of Section 182 of the Principal Act, the following sub-section shall be added, namely:-

"(3) A Government lessee may acquire the Free-hold Right in Government land allocated in non-agricultural purpose, under the rules prescribed for it. "

**Amendment of Section 246.**

**22.** In Section 246 of the Principal Act, for the words and figures "before the coming into force of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959)," the words and figures "before 1st November, 2000" shall be substituted.

**Amendment of Section 248.**

**23.** In Section 248 of the Principal Act,-

(i) clause (ii) of first proviso of sub-section (2-A) shall be omitted.

(ii) after sub-section (2-B), the following sub-section shall be added, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in the Code, the State

Government or any officer, authorized by the State Government, may do settlement of encroachments prior to the date fixed by the State Government time-to-time and the State Government may make rules in this relation."

**24.** In Section 258 of the Principal Act,- **Amendment of Section 258.**

(i) in sub-section (1), after the protasis "may make rules", the protasis "and may amend or annul rules made" shall be inserted.

(ii) sub-section (2) shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.